डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक–सम्ब0 / 358 / 2025

दिनांक–16 / 09 / 2025

सेवामें,

अध्यक्ष / सचिव

श्री सिद्धि विनायक कालेज ऑफ लॉ, जमुनावता, गोवर्धन रोड़, मथुरा–161

विषयः–प्राचार्य / सहायक आचार्य पद पर चयन हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 16·06·25 के सन्दर्भ में सुचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय में रिक्त एवं विज्ञापित प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / आचार्य / सह0 आचार्य के पद पर चयन हेतु **एल0एल0बी (त्रिवर्षीय)** पाठ्यकम में प्रवक्ता पद हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञों को नामित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

1. पदनाम / विषय	2. विशेषज्ञों का नाम एवं पता
सहायक आचार्य पद हेतु कुलपति जी द्वारा नाम निर्देशित	1. डा0 हरीश कुमार शर्मा, डी0एस0 कालेज, अलीगढ़ 2. डा0 रिजू निगम, आगरा कालेज, आगरा

1.

2. कृपया नामित विशेषज्ञों से सम्पर्क कर चयन समिति आहूत करने का कष्ट करें।
3. महाविद्यालय के **प्राचार्य एवं सहा0** आचार्य पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा।
   - **प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष / प्रबन्धक** – अध्यक्ष
   - **कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य दो विषय–विशेषज्ञ** – सदस्य
   - **अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के प्रतिनिधि** – सदस्य

नोटः– यदि महाविद्यालय में कोई प्राचार्य अथवा शिक्षक न हो तो शेष सदस्यों से चयन समिति का गठन हो जायेगा।

4. चयन समिति की बैठक के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को महाविद्यालय की प्रबन्ध कारिणी के सम्मुख प्रस्तुत कर उसकी सहमति / संस्तुति लेना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / सहा0 आचार्य के चयन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित प्रपत्र / अमिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।**
   - विज्ञापित पदों के विज्ञापन की प्रमाणित प्रति एवं महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता सम्बंधी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
   - महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की फोटो प्रति।

- प्राप्त आवेदन पत्रों में शैक्षिक अर्हता/योग्यता का परीक्षण महाविद्यालय स्तर पर गठित परीक्षण समिति द्वारा पात्र/न्यूनतम शैक्षिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को हर साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा आमंति किया जायेगा।
- चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त/संस्तुति पत्र, जिसमें चयनित व प्रतीक्षा सूची सहित, चयन समिति का अभ्यर्थियों के साथ छायाचित्र।
- चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
- चयन समिति द्वारा संस्तुत प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहा0 आचार्य (प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी) के प्रपत्रों के साथ रू 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं प्रबन्धक का रू 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (फोटोग्राफ सहित) नोटरी द्वारा सत्यापित पत्रावली में संलग्न करना अनिवार्य है।
- चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन-पत्र सभी शैक्षिक अभिलेखों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
- चयनित विभागाध्यक्ष/सहा0 आचार्य का अनुभव प्रमाणपत्र, पूर्व महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।
- अध्यक्ष की उपस्थित न होने की स्थिति में नामिती का पत्र।

6. विशेषज्ञों का उपर्युक्त पैनल छः माह के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष हीकिया जायेगा साथ ही शिक्षक चयन के रिक्त पद पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना चाहिये जिससे योग्यतम शिक्षकों का चयन किया जा सके तथा एक शिक्षक पद के सापेक्ष तीन अभ्यर्थियों का उपस्थिति होना अविनार्य है।
7. विभागाध्यक्ष/सहा0आचार्य के पदों पर चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षक का नियुक्ति पत्र महाविद्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
8. चयन समिति विभागाध्यक्ष/सहा0 आचार्य की नियुक्ति उत्तर-प्रदेश सरकार के उच्चशिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-377/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 दिनांक 03.12.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
9. शासनदेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23.11.2011 के अनुपालन में चयन समिति द्वारा चयनितशिक्षकों की नियुक्ति पॉच वर्ष के लिये स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संविदा के रूप में की जायेगी।
10. **विभागाध्यक्ष/सहा0 आचार्य के चयन की बैठक हेतु विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस निर्धारित फीस रू0 3000/-प्रतिदिन+ जी0एस0टी0 R.T.G.Sके माध्यम से इण्डियन बैंक पालीवाल परिसर आगरा खाता सं0 50376482176 IFSC IDIB000A528में जमा होगा तथा चयन समिति की बैठक हेतु अतिथि गृह का आवंटन पन्द्रह दिन पूर्व कराना होगा तथा विश्वविद्यालय खन्दारी परिसर स्थित गेस्ट हाउस में चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी, होटल आदि जैसे अन्य किसी स्थान पर आयोजित चयन समिति की कार्यवाही स्वीकार्य नही की जायेगी।**
11. **प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदनार्थ विश्ववद्यिालय द्वारा निर्धारित फीस रू0 10,000/- (प्रति विषय/पाठ्यकम) खाता संख्या 50371353938आई0एफ0एस0 कोड़IDIB000A528इण्डियन बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस में जमा कर प्रमाणित प्रति पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।**
12. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में विषय -विशेषज्ञयों द्वारा शिक्षकों के अनुमोदन के पश्चात पत्रावली एक माह के अन्दर सम्बद्धन विभाग में प्रेषित करेंगे।

नोटः-साक्षात्कार समिति द्वारा पी0एच0डी0/नेट प्रमाण (QR CODE) से चेक कर) पत्र को प्रथक से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।

भवदीय

कुलसचिव